### भारतीय नागरिकता की समाप्ति
### (Loss of Indian Citizenship)

भारतीय नागरिकता निम्नलिखित प्रकार से समाप्त होती है:

1. अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर।
2. नागरिकता का परित्याग करने पर।
3. सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर।

## संघीय विधान पालिका—संसद
## (Central Legislature—Parliament)

संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। 'संसदीय' शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है, जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है, जिसे 'संसद' कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को 'संसद' कहा जाता है।

भारतीय संसद (Parliament) के तीन अंग हैं:

1. राष्ट्रपति (विभिन्न पहलूओं का वर्णन कार्यपालिका के अंतर्गत किया गया है)
2. लोकसभा (लोगों का सदन) एवं
3. राज्यसभा (राज्यों की परिषद)

### लोकसभा (Lok Sabha)

लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन (Lower House of Parliament) है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।

भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा-सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1991 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित की जाएगी। उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), तमिलनाडु (39) राज्यों से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य चुन कर आते हैं, दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ सबसे अधिक 7 लोकसभा सदस्य चुन कर आते हैं।

लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है, परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। संविधान के 42वें संशोधन (1976) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर छः वर्ष कर दी गई, लेकिन 44वें संशोधन के अनुसार इसको फिर से पाँच वर्ष कर दिया गया।

लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में छः माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

लोकसभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर गठित होती है। लोकसभा की पहली बैठक शपथ विधि के साथ शुरू होती है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात हुए पहले अधिवेशन के प्रारम्भ में और वर्ष के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण देता है। इसके अलावा भी वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है।

### लोकसभा अध्यक्ष
### (Loksabha Speaker)

लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में चुनती है, जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है।

लोकसभा अध्यक्ष के संविधान में अनूठे स्थान का इसी बात से पता चलता है कि हमारे वरीयता क्रम में उनका स्थान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के बाद आता है। लोकसभा अध्यक्ष के निम्नलिखित दो कार्य हैं:

1. लोकसभा की अध्यक्षता करना, उसमें अनुसाशन गरिमा तथा प्रतिष्ठा बनाए रखना। इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होता है।
2. वह लोकसभा से संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, किंतु इस भूमिका के रूप में वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा।

#### *लोकसभा अध्यक्ष की विशिष्ट शक्तियाँ*

भारत में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय एक जीवित और गतिशील संस्था है, जो कि संसद के लिए संविधान द्वारा निर्दिष्ट उदेश्यों की पूर्ति में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाहन करता है। अध्यक्ष लोकसभा के संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख हैं। वह सदन के प्रमुख प्रवक्ता हैं।

भारत में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय एक जीवित और गतिशील संस्था है, जो कि संसद के लिए संविधान द्वारा निर्दिष्ट उदेश्यों की पूर्ति में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाहन करता है। अध्यक्ष लोकसभा के संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख हैं। वह सदन के प्रमुख प्रवक्ता हैं।

1. दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाने पर लोकसभा अध्यक्ष ही अमूमन उसकी अध्यक्षता करता है।
2. कोई बिल धन बिल है या नहीं, इस बात का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।
3. सदन की सभी समितियाँ अध्यक्ष के समग्र दिशा निर्देशन (overall direction) में कार्य करती हैं, सभी समितियाँ अध्यक्ष द्वारा या सदन द्वारा गठित की जाती हैं। सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामांकित होते हैं। संसद की कार्यवाही सलाहकार (Business Advisory) सामान्य प्रयोजन (General

Scanned with CamScanner

Purpose) और नियम (Rules) जैसी समितियाँ सीधे लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करती हैं।

4. लोकसभा के विघटन होने पर भी उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अध्यक्ष पद पर कार्य करता रहता है, जब तक की नवीन लोकसभा न गठित हो जाए। वैसे अध्यक्ष, किसी भी समय, उनके उप लोकसभा अध्यक्ष को किसी भी समय लिखित रूप में अपने कार्यालय से त्यागपत्र दे सकते हैं।

हालांकि, माननीय लोकसभा अध्यक्ष सदन के सदस्य होते हैं, वह सदन में मतदान नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी दुर्लभ अवसर पर टाई की स्थिति हो, तो वह अपना कास्टिंग वोट का उपयोग कर सकते हैं। यह अलग बात है कि भारतीय संसद के इतिहास में ऐसी स्थिति आज तक बनी ही नहीं।

### *कार्यवाहक अध्यक्ष*

जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है, तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है, जिसको संसद में सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। उसके निम्नलिखित दो कार्य होते हैं:

1. संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना,
2. नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है।

## राज्यसभा (Rajya Sabha)

यह संसद का ऊपरी सदन है, इसका उद्गम 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम में देखा जा सकता है। जब इम्पीरियल विधान परिषद (Imperial Legislative Council) का विस्तार किया गया और उसमें सुधार भी किया गया—यह समस्त भारत के लिए एक द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) बन गया—निचले सदन को 'विधान सभा' जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का था एवं ऊपरी सदन को 'राज्यों की परिषद' कहा गया, जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का था और उद्देश्य यह था कि निचले सदन के भंग होने पर भी विधायी कार्य निर्विघ्न चलते रहें।

राज्यसभा को 'राज्यों की परिषद' भी कहा जाता है, जिसमें सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधान सभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 34 सदस्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, आदि छोटे राज्यों के केवल एक-एक सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यविधि छह वर्ष है।

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है।

## लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ (Powers of Lok Sabha and Rajya Sabha)

लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं:

1. मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) केवल यहीं लाया जा सकता है।
2. धन बिल (Money Bill) पारित करने में यह निर्णायक सदन है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया और पारित किया जाएगा।

उपरोक्त विषयों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ एवं दर्जा प्राप्त है।

1. किसी भी गैर-वित्तीय विधेयक को अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है।
2. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त है।
3. राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है।
4. किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
5. राष्ट्रपति को संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है, जिस पर सदन सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है।
6. कुछ विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है।

## संसदीय अधिवेशन (Parliamentary Sessions)

संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर न हो। परंपरानुसार संसद तीन नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है।

1. **बजट अधिवेशन (जनवरी/फरवरी—मार्च/अप्रैल):** यह सबसे अधिक समयावधि का सत्र होता है। यह सबसे महत्त्वपूर्ण सत्र माना जाता है। अधिवेशन का प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है।
2. **मानसून अधिवेशन (जुलाई-अगस्त)**

Scanned with CamScanner